

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर
(निर्णय बर्डजलास श्री के.के.शर्मा,आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील संख्या :-03/2010/भीलवाड़ा (2010/00025)

1. कल्याण पुत्र किशोर, जाति धाकड़, नि0 भगुनगर, तह0 जहाजपुर जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांट

बनाम

1. परमेश्वर पुत्र देवकिशन,
2. नृसिंग पुत्र देवकिशन,
3. दुर्गाशंकर पुत्र देवकिशन,
नाबालिगान बबिलायत पिता देवकिशन धाकड़, नि0 फलासिया, तह0 जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जहाजपुर ।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरुद्ध निर्णय तहसीलदार (भू0अ0), जहाजपुर जिला भीलवाड़ा दिनांक 7.6.2007.

उपस्थित:-

1. श्री मदनलाल गुर्जर, वकील अपीलांट ।
2. श्री रमजान मोहम्मद, वकील रेस्पो0 संख्या 2 व 3.
3. रेस्पो0 संख्या 1 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक:-5.10.2017

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार (भू0अ0), जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 7.6.2007 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

- 1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पों संख्या 1 लगायत 3 के पिता देवकिशन ने एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार, जहाजपुर के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम भगुनगर, तहसील जहाजपुर में हजारी पिता किशोर धाकड़ के नाम पर आराजी संख्या 1/2, 1/11, 6/1, 68, 89, 91, 121, 156, 209, 213, 214 कुल रकबा 53 बीघा 4 बिस्वा में से हक व हिस्सा राजस्व रिकार्ड चालू जमाबंदी में दर्ज है। हजारी पिता किशोर धाकड़ का स्वर्गवास हो चुका है। प्रार्थना पत्र के साथ पारिवारिक सजरा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हजारी की पत्नि चन्दी एवं पुत्री अनोपी फौत हो चुकी है एवं रेस्पों संख्या 1 से 3 हजारी के प्रथम श्रेणी के वारिसान हैं जिनके नाम हजारी की विरासत का नामांतरण दर्ज किया जावे। तहसीलदार, जहाजपुर ने प्रार्थना पत्र दर्ज कर पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरांत निर्णय दिनांक 7.6.2007 द्वारा मृतक हजारी की विरासत का नामांतरण रेस्पों संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश पारित किये। अधीन्याया के इस आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलांत ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।
- 2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पों को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोंडेंट्स के उपस्थित होने एवं अधीन्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांत एवं रेस्पोंडेंट्स की बहस सुनी गई। xx
- 3- अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधीन्याया ने इस कानूनी बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया कि मृतक हजारी की पुत्री अनोपी का स्वर्गवास हजारी के स्वर्गवास के 10-11 साल पूर्व हो गया था। हजारी द्वारा अनोपी का स्वर्गवास होने के बाद गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सम्मुख अपने हिस्से की आराजी व अन्य चल-अचल सम्पत्ति की मौखिक वसीयत अपीलांत के नाम कर दी थी व मृतक हजारी की आजीवन सेवा-सुश्रूषा अपीलांत ने ही की थी तथा हजारी की मृत्यु के बाद हजारी के किया कर्म अपीलांत के द्वारा ही किये गये थे। अपीलांत मृतक हजारी का छोटा भाई होने से उसके समाज के रीति-रिवाज अनुसार पगड़ी अपीलांत के बांधी गई थी। हजारी ने अपीलांत के पक्ष में उसके जीवनकाल में मौखिक वसीयत कर दी थी तब से अपीलांत हजारी के जीवनकाल से उसके हिस्से की आराजियात पर काबिज काश्त चला आ रहा है। मृतक हजारी की आराजियात के संबंध में नामांतरण आदेश पारित करने से पूर्व तहसीलदार को अपीलांत को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान करना चाहिये था लेकिन अधीन्याया ने ऐसा न कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। विद्वान वकील अपीलांत ने बहस को आगे बढ़ते हुए कथन किया कि तहसीलदार, जहाजपुर ने नामांतरण स्वीकृत करने से पूर्व कोई जांच नहीं की एवं ना ही अपीलांत को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर ही प्रदान किया है तथा ना ही विवादित भूमि पर कब्जे के संबंध में कोई जांच ही की गई है। विद्वान वकील अपीलांत ने बहस में आगे कथन

किया कि मृतक हजारी द्वारा धारित कृषि आराजियात का प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी मृतक हजारी का सगा भाई अपीलांट कल्याण ही था इसके बावजूद तहसीलदार ने मृतक हजारी के दायतों को प्रथम श्रेणी का वारिस मानकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि विरुद्ध है, कारण कि हजारी की पुत्री अनोपी का स्वर्गवास हजारी के स्वर्गवास के पहले हो जाने से अनोपी के समस्त अधिकार समाप्त हो गये थे इसलिये अपीलाधीन निर्णय विधिविरुद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर तहसीलदार, जहाजपुर का निर्णय दिनांक 7.6.2007 को अपास्त किया जावे तथा प्रकरण तहसीलदार, जहाजपुर को अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः निर्णित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे । xx

- 4- विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि० पेश कर निवेदन किया कि तहसीलदार, जहाजपुर ने प्रार्थी को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है इस कारण प्रार्थी को अपीलाधीन आदेश की जानकारी समय पर नहीं हो सकी थी । प्रार्थी ने तहसीलदार के आदेश दिनांक 7.6.2007 की पालना में स्वीकृत नामांतरण संख्या 554 दिनांक 10.8.2007 के विरुद्ध प्रथम अपील विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के न्यायालय में पेश की जिसमें तहसीलदार, जहाजपुर की पत्रावली आने पर अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 26.11.2009 को उक्त पत्रावली देखने पर ज्ञात हुआ कि उक्त नामांतरण तहसीलदार, जहाजपुर के आदेश दिनांक 7.6.2007 की पालना में स्वीकार किया गया है एवं तहसीलदार, जहाजपुर के आदेश दिनांक 7.6.2007 को निरस्त कराया जाना आवश्यक है । तत्पश्चात् अपीलांट ने विधिक राय प्राप्त होने के उपरांत अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील प्रस्तुत की है। अपील में हुआ विलंब सद्भाविक है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।
- 5- विद्वान वकील रेस्पोंडेंट्स संख्या 2 व 3 ने जवाब बहस में कथन किया कि विवादित भूमि में हजारी पुत्र किशोर 1/3 हिस्से का खातेदार है । हजारी के पिता किशोर के तीन पुत्र कमशः मोती, हजारी एवं कल्याण हुए । मोती पुत्र किशोर फौत हो चुका है जिसके वारिसान बरजी, गोपी, मगना व देबी है । हजारी भी फौत हो चुका है जिसकी पुत्री अनोपी थी तथा अनोपी की भी मृत्यु हो चुकी है एवं रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 3 अनोपी के पुत्र होकर मृतक हजारी के दोहिते है जो हिन्दू उत्तराधिकार अधि० की धारा 6 के अनुसार मृतक हजारी के प्रथम श्रेणी के वारिसान है । अनोपी की मृत्यु उपरांत तहसीलदार ने हिन्दू उत्तराधिकार की धारा 6 के अनुसार रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 3 के पक्ष में नामांतरण संख्या 554 तस्दीक किया है जो विधिसम्मत है । अपीलांट मृतक हजारी का भाई है जो अपने आपको हजारी के गोद जाना बताता है किन्तु गोद जाने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है । विद्वान वकील रेस्पोंडेंट ने बहस में आगे कथन किया कि नामांतरण की कार्यवाही में गोद जैसे जटिल विषय का निस्तारण

नहीं किया जा सकता है। अधीन न्यायालय ने संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों, पटवारी हल्का की रिपोर्ट तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधि० 1956 की धारा 6 एवं 8 का विश्लेषण कर विधिसम्मत रूप से अपीलाधीन निर्णय पारित किये हैं जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलांत निरस्त की जावे।

6- हम सर्वप्रथम अपीलांत द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि० का निस्तारण करना उचित समझते हैं। अपीलांत ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये हैं वे संतोषप्रद एवं उचित प्रतीत नहीं होते हैं क्योंकि अपीलांत द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के न्यायालय में नामांतकरण संख्या 554 दिनांक 10.8.2007 के विरुद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत की गई थी इसलिये यह नहीं माना जा सकता कि उसे अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं थी। यद्यपि मियाद के बिन्दु से किसी भी प्रकरण का गुणावगुण पर अंतिम विनिश्चयन नहीं हो सकता है इसलिये हम न्यायहित में अपीलांत को सुना जाना न्यायोचित समझते हैं। अतः अपील में हुआ विलंब न्यायहित में क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

7- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलेखों का अवलोकन किया एवं अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अपीलांत का अपील में मुख्य कथन यह है कि अपीलांत मृतक हजारी का भाई है तथा अपीलांत ने ही मृतक हजारी की उसके जीवनकाल में सेवा सुश्रूषा की थी जिससे हजारी ने अपने जीवनकाल में अपीलांत के पक्ष में समाज के समक्ष उसकी समस्त चल व अचल सम्पत्ति की मौखिक वसीयत कर दी थी जिसके आधार पर अपीलांत के पक्ष में मृतक हजारी की आराजियात का विरासत नामांतकरण तस्दीक किया जाना चाहिये था। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांत ने अधीन न्याया० के समक्ष एवं ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष अपील के दौरान उसके पक्ष में वसीयत किये जाने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। इसके विपरीत पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रेस्प० संख्या 1 लगायत 3 मृतक हजारी की पुत्री मृतक पुत्री अनोपी के पुत्र हैं तथा इस तथ्य को अपीलांत स्वयं ने भी अपने अपील मीमों में स्वीकार किया है। इस संबंध में हिन्दू उत्तराधिकार अधि० 1956 की धारा 8 में वर्णित प्रथम श्रेणी के वारिसान की सूची के अनुसार “पुत्र, पुत्री, विधवा, माता, पूर्वमृत पुत्र का पुत्र, पूर्वमृत पुत्र की पुत्री, पूर्वमृत पुत्री का पुत्र, पूर्वमृत पुत्री की पुत्री, पूर्वमृत पुत्री की विधवा, पूर्वमृत पुत्र के पूर्वमृत पुत्र का पुत्र, पूर्वमृत पुत्र के पूर्वमृत पुत्र की पुत्री, पूर्वमृत पुत्र के पूर्वमृत पुत्र की विधवा” को प्रथम श्रेणी के वारिसान माना गया है। चूंकि रेस्प० संख्या 1 से 3 खातेदार हजारी की पुत्री मृतक अनोपी के पुत्र होकर हिन्दू उत्तराधिकार अधि० 1956 की धारा 8 की सूची अनुसार प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान हैं। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि तहसीलदार, जहाजपुर ने मृतक हजारी की विरासत का नामांतकरण हिन्दू उत्तराधिकार अधि० 1956 की धारा 8 के तहत रेस्प० के पक्ष में विरासत का

नामांतकरण तस्दीक किया है जो विधिसम्मत है । प्रकरण में अपीलांट का यह तर्क रहा है कि हजारी ने अपीलांट को विवादित आराजियात की वसीयत कर दी थी किन्तु अपने कथन के समर्थन में अपीलांट ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है एवं वैसे भी नामांतकरण की कार्यवाही में वसीयत की वैधता का परीक्षण का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। तहसीलदार, जहाजपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.6.2007 में हम कोई विधिक एवं तत्यात्मक त्रुटि होना नहीं पाते है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट अपास्त योग्य तथा अधीन न्यायालय का निर्णय यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

-:क्रियात्मक आदेश:-

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 3/2010 (2010/00025) बउनवानी कल्याण बनाम परमेश्वर को अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार, जहाजपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.6.2007 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 5.10.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

